संख्या-09/2019/ 597/ सत्रह- म-2019-6-9(127)/17

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक:17 मई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 43,95,250/- (रू0 तैतालीस लाख पन्चानबे हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-116/नि0शा0/2019-20 दिनांक 08 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 43,95,250/- (रू0 तैतालीस लाख पन्चानबे हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08 मई, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,04-मत्स्य विकास कार्यक्रम,0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना, 02- मजदूरी, 09 -विद्युत देय, 39- औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत धनराशि रू0 रू0 43,95,250/- (रू0 तैतालीस लाख पन्चानबे हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिकानुसार 36 जनपदों हेतु निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

जा उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक- ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/ उपलब्ध कराया जाय।

(3) धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0 /डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस्के साथ -साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(7) वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

(8) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्मान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(9) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ/हो रहा है।

3 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम- 0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण- 02-मजदूरी, 09-विद्युत देय, 39- औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में दिये गये उक्त निर्देशों /शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या - 09/2019 / 597(1)/सत्रह-म-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त् (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-09/2019 /597/सत्रह-म-2019-6-9(127)/ 2017, दिनांक:17 मई, 2019 का

संलग्नक

(वर्ष 2019-20 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 36 जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	लक्ष्य (लाखमें)	02- मजदूरी	09- विद्युत देय	39- औषधि	42- अन्य व्यय	43- सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	लडामदा	-	2000	0	2000	17680	30320	52000
2	मैनपुरी	चौराईपुर	-	625	0	625	5525	9475	16250
3	आजमगढ	अजमतगढ	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
4	मऊ	हाजीपुर	-	750	5130	750	1500	11370	19500
5	बलिया	निधारिया एवं अवांय	-	6750	46170	6750	13500	102330	175500
6	इलाहाबाद	तेंदुआ एवं तरांव	-	11250	25000	11250	74450	170550	292500
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	-	3750	14000	3750	19150	56850	97500
8	प्रतापगढ	बेलहा	-	8750	25000	8750	52350	132650	227500
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	-	1250	8550	1250	2500	18950	32500
11	देवरिया	खुखुन्दू	-	2500	0	2500	22100	37900	65000
12	कुशीनगर	गंगेलवा	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
13	बस्ती	शंकरपुर	-	1500	0	1500	13260	22740	39000
14	संतकबीरनगर	तामां	-	4250	12000	4250	25570	64430	110500
15	सिद्धार्थ नगर	पंचमोहनी	-	4500	0	4500	39780	68220	117000
16	बॉदा	नहरी	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
17	महोबा	किडारी एवं अटकोहा	-	2250	0	2250	19890	34110	58500
18	झांसी	गुरसराय	-	8400	0	5350	66814	116436	197000
19	जालौन	आटा	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
20	ललितपुर	माताटीला	-	6250	0	6250	55250	94750	162500
21	सुल्तानपुर	तौकलपुर	-	8200	0	6675	68767	118858	202500
22	बाराबंकी	बंकी	-	7500	0	7500	66300	113700	195000

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	गोण्डा	पुरेतिवारी	-	13900	23000	10850	92434	199816	340000
24	बरेली	लांबाखेडा	-	1500	0	1500	13260	22740	39000
25	शाहजहॉपुर	बलेली	-	8150	17500	5100	47104	112646	190500
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
27	बागपत	सरूरपुर	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
28	लखनऊ	भैंसामऊ	-	2500	0	2500	22100	37900	65000
29	उन्नाव	नवाबगंज	-	6250	15000	6250	40250	94750	162500
30	सीतापुर	सुरैचा	-	4250	0	4250	37570	64430	110500
31	हरदोई	सण्डीला	-	6200	38070	4675	13017	88538	150500
32	लखीमपुर खीरी	घरथनियां	-	5500	24000	5500	24620	83380	143000
33	जौनपुर	गूजरताल	-	8750	59850	8750	17500	132650	227500
34	मिर्जापुर	बघोडा एवं समोग्रा	-	10000	32000	10000	56400	151600	260000
35	संतरविदास नगर	विक्रमपुर	-	12530	85656	11920	23620	187774	321500
36	सहारनपुर	रामपुर मनिहारन	-	1500	10260	1500	3000	22740	39000
	योग -		-	**172505**	**482226**	**159695**	**1011461**	**2569363**	**4395250**

(रू0 तैतालीस लाख पन्चानवे हजार दो सौ पचास मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव ।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।